न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-O 04/2013 श्री भूरसिंह बनाम श्री नानूराम

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26–07–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्राकर है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी के विरूद्ध एक आवेदन बाबत् रेस्पोन्डेन्ट को आवंटित आराजी नंबर 569 रकबा .18 एकड़ भूमि ग्राम पाली के आवंटन निरस्तीकरण का नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत पेश किया। उक्त आवेदन पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 29–1–2013 से आवेदन खारिज किया जाकर आवंटन बहाल रखा। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 29–1–2013 से रूष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–2–2013 को पेश की। प्रकरण में अपीलान्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित व रेस्पोन्डेन्ट संख्या–7 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थि रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की, वहीं राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की। अपील के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया न ही मौके की जांच रिपोर्ट तलब की। विवादित भूमियों पर प्रार्थी के मकान बने हुए है प्रार्थी भूमिहीन काश्तकार नहीं है। पटवारी ने त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट की है। आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा नहीं है। आवंटी द्वारा शर्तो की पालना नहीं की है। हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट यदि पड़ोसी है, तो भी उसके द्वारा स्ट्रीप ऑफ लेण्ड	

	का कोई आवेदन नहीं किया है। आवंटन सलाहकार समिति के कार्यवाही वृतान्त दिनांक 30–7–2001 पर आवंटन सलाहकार समिति के हस्ताक्षर है। आवंटी भूमिहीन नहीं होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा होने की कोई प्रभावी साक्ष्य उपलब्ध आवंटन शर्तो की अपालना भी प्रमाणित नहीं है। विधिक आवंटी के विरूद्ध अतिक्रमकी का कोई लोकस–स्टेण्डाई नहीं होता। प्रकरण में आवंटन किये जाने में कोई फ्रॉड या मिस–रिप्रजेन्टेशन होना प्रमाणित नहीं है। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29–1–2013 यथावत रखा जाता है। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26–07–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.एन. मंत्री)** **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता
श्री कालूलाल नादा निवासी
पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल
के पास शोभागपुा स्कूल के सामने
तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल
कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा
उदयपुर (राज0)
अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0......
.... उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........27............. माह ....02........... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील					
2. स्टाम्प वकालत नामा.......					
3. इजराय हुक्मनामा					
4. वकील फीस बाबत					
मीजान					
.					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-O 04/2013 श्री भूरसिंह बनाम श्री नानूराम

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य –2	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्ख्खे...........08............. माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0. 800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .... 6. स्टाम्प वकालत नामा....... 7. इजराय हुक्मनामा .... 8. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।